न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

(न्याय आपके द्वार अभियान शिविर पंचायत बुचियाबडा)

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आरएएस उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 413 / 2016(राजस्व वाद)

दायर दिनांक– 17.11.2016
फैसल दिनांक– 4.6.2018
(केम्प – बुचियाबडा)

अनवान

1– श्री कालुराम पिता भूरा रेबारी निवासी बुचियाबडा तहसील सागवाडा
(वादी)

बनाम

1– श्री सवजी पिता कुरिया जाति रेबारी
2– श्री अर्जुन पिता नाथा जाति रेबारी
3– श्री गरवर पिता नाथा जाति रेबारी निवासी बुचियाबडा
4– लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर
(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री नागेन्द्रसिंह
वकील प्रतिवादीगण– श्री दिनेश चौबिसा

दावा बाबत घोषणा पत्र स्थाई निषेधाज्ञा सेक्शन 9,151 जा.दी.धारा 188,212,राज0टि0एक्ट ,251 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट धारा 37,38 स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट धारा 33,35,47 से इंडियन इजमेण्ट एक्ट 1882

निर्णय

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एंव प्रविादीगण एक ही गांव बुचियाबडा के होकर कृषक है। पक्षकारगण की खेती की आराजीयात पास पास स्थित है। प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं। प्रतिवादी संख्या 1 सवजी का पिता कुरिया व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता सगे भाई थे । यह कि वादी के आराजी नम्बर 707 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा ,709 रकबा 14 बिस्वा 711 रकबा 17 बिस्वा ,712 रकबा 1बीघा 5 बिस्वा ,713 रकबा 1बीघा 16बिस्वा ,714 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा गांव बुचियाछोटा में स्थित है । यह कि वादी के खाते एंव कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजीयात में जाने जाने का एक मात्र 12 फीट चौडा रास्ता आराजी नम्बर 727 रकबा 11 बीघा में से होकर है जो प्रतिवादीगण के खाते स्वामित्व एवं

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

आधिपत्य की है तथा वादी का 12फीट चौडा यह रास्ता आराजी नम्बर 708 के पूर्व दिशा में होते हुए जाता है जिसमें से होकर वादीगण का परिवार अपने खेतों में आवागमन करता है। वादी का यह एक मात्र रास्ता बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है जिसे अभी प्रतिवादी संख्या एक ने अचानक बंद कर दिया तथा प्रतिवादी ने आराजी नम्बर 727 में करीब तीन फीट उॅची पाली वादी के रास्ते के आलामत को खत्म करने एंव अवरोध उत्पन्न करने जेसीबी चलाकर बना दी है जिससे वादी का अपने खेतों पर आने जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है ।

यह कि प्रतिवादीगण के खाता नम्बर 142 पुराना 117 की आराजीयात का बंटवारा कर दिया गया है , बंटवारे में आराजी नम्बर को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रही तथा आराजी नम्बर 723,724,725,726 प्रतिवादी संख्या 2,3 के हिस्सें की होकर उनके खाते में अंकित कर देना बताया जाता है । आराजी नम्बर 727 को प्रतिवादी संख्या 1 ने दो हिस्सों में विभाजीत कर दिया है तथा बीच में तीन चार फीट उॅची व 2 फीट चौडी मेड पाली वादी के आवागमन के रास्ते में पश्चिम दिशा में स्थापित कर दी है जिसे हटवाकर वादी का आवागमन का रास्ता खुला करना आवश्यक है ।

वाद के अन्त में वादी द्वारा अपनी खेती की आराजीयात पर जाने आने आवागमन का रास्ता प्रतिवादी की आराजी नम्बर 727 रकबा 11 बीघा बीड से आराजी नम्बर 708 दक्षिण उत्तर दिशा में आराजी से सटकर बाप दादाओं के समय से 100 साल से वादी की आराजी नम्बर 707 में एवे वहां से अन्य आराजीयात में जाता है घोषित करने , प्रतिवादी ने करीब दो साल हुए अपनी आराजी नम्बर 727 में करीब 4 फीट उॅची व 2फीट चौडी खडी कर सौ साल पुराने रास्ते के आवागमन में अवरोध उत्पन्न कर दिया जिसे वादी हटवाने आवागमन करने का अधिकारी है एवं इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एंव दौराने वाद अस्थाई निषधाज्ञा जारी कराने एवं वादी के खाते की उक्त कलम नं0 2 में वर्णित आराजीयात में गत करीबदो वर्ष से प्रतिवादीगण द्वारा आवागमन को अवरूद्ध करने से वादी आराजीयात में फसल काटने उपज प्राप्त करने से वंचित रहा जिससे वादी हाने वाली क्षति की राशि 500000.00 प्राप्त करने का अधिकारी होना बताया है ।

वादी ने वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज नकल रास्ता ट्रैस,जमाबन्दी संवत 2070–72 ,असल प्रमाणित जमाबन्दीनकल ,नक्शा ट्रैस असल

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

ग्राम बुचियाबडा ,राजस्थान सम्पर्क पत्र की प्रति ,जिला कलक्टर कार्यालय का पत्र,उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र,पंचायत समिति कार्यालय के पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।

वाद प्रकरण की कार्यवाही के दौरान वकील वादी की ओर से तहसीलदार सागवाडा से मोका निरीक्षण की रिपोर्ट के अलावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –23 एवं वकील प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7(11),वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(17) प्रस्तुत हुए । उक्त उल्लेखित प्रार्थना पत्र जवाब एंव बहस की स्टेज पर होकर लम्बित है।

पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प पंचायत मुख्यालय बुचियाबडा पर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया ।

प्रकरण मुख्य रूप से वादी द्वारा प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि में से रास्ता चाहने से सम्बन्धित है । वकील वादी द्वारा वाद पत्र में धारा 251 अंकित किया गया है ,इस न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए)के अधिकार है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 का अधिकार इस न्यायालय को नही है ।

अतः वाद वादी न्यायालय क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 4.6.2018 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो,नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
केम्प बुचियाबडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner